न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 160/2024 तहसीलदार लूणी बनाम किशोर चौहान अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-9-25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक राजस्व/2024/2857 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 136 राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि श्री किशोर चौहान पुत्र नारायणराम माली निवासी बी 23 कमला नेहरु नगर प्रथम विस्तार योजना जोधपुर के प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार ग्राम तनावड़ा के खसरा न. 7 में से जरिये रजिस्ट्री सुमित्रा देवी द्वारा 03.18.05 बीघा भूमि कृषि भूमि को दिनांक 02-07-2008 को खरीद की जिसका जरिये नामान्तरकरण संख्या 1147 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ उस समय जमाबंदी संवत् 2060-63 व 2064-67 में नोट लगा हुआ है एवम् नोट लगाकर अमलदरामद है। जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता संख्या 537 खसरा न. 7 रकबा 17.04.03 बीघा में व अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदारी में सुमित्रा देवी पत्नि डॉ सत्य नारायण चितलांगिया जाति माहेश्वरी सा शास्त्रीनगर जोधपुर खसरा न. 7/18 रकबा 03.18.05 बीघा दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2072-75 ग्राम तनावड़ा के खाता संख्या 614 खसरा न. 7 रकबा 17.04.03 बीघा में व अन्य खातेदारों के साथ सहखातेदारी में सुमित्रा देवी पत्नि डॉ सत्य नारायण चितलांगिया जाति माहेश्वरी सा. शास्त्रीनगर जोधपुर खसरा न. 7/18 रकबा 03.18.05 बीघा दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2072-75 की जमाबंदी में ग्राम तनावड़ा के खाता संख्या 614 खसरा न. 7 रकबा 17.04.03 बीघा दर्ज है। परन्तु खसरा न. 7 में दर्ज खातेदारों के नाम के आगे दर्ज रकबा व हिस्सा को जोड़ने पर 20.16.09 बीघा आता है। जोकि खसरा न 7 का रकबा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार 17.04.03 बीघा है। जो 03.12.06 बीघा ज्यादा दर्ज है। यह 3.12.06 बीघा भूमि खसरा न. 7 के मूल खातेदार रतनाराम गंगाराम सुजाराम चौनाराम पी बोहराराम जाति जाट नि. गंगाणा द्वारा ज्यादा बैचान करने से जमाबंदी में दर्ज हो गया। जमाबंदी सक्त 2076-79 तहसील ऑनलाइन वक्त सेग्रीगेशन के समय खातेदारों को खाते का रकबा हिस्सा अनुसार योग एक करने के लिए जमाबंदी में अधिक दर्ज हिस्से को खातेदारी में अनुपातिक रूप से कम करके खसरा न 7 का रकबा 17.04 03 बीघा अनुसार खातेदारी का हिस्सा दर्ज किया गया। खातेदार का प्रतिनिधि किशोर चौहान पुत्र नारायणराम माली निवासी बी 23 कमला नेहरु नगर प्रथम विस्तार योजना जोधपुर द्वारा हिस्सा शुद्ध करने हेतु धारा 166 में आवेदन किया। आवेदन करने पर किशोर चौहान को समझाईश की गई कि ग्राम तनावड़ा के खसरा नं. 7 रकबा 17.04.03 बीघा जमाबंदी अनुसार दर्ज है। परन्तु मूल खातेदारों द्वारा रकबे से अधिक वैचान करने पर 03.12.06 बीघा ज्यादा दर्ज हो गया। नियमानुसार नियम 166 में सही किया जाना संभव नहीं होने पर रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 136 में शुद्धि किया जाना संभव है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय को प्रकरण में जवाब/जांच हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2024/1006 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या में 7 में रास्ते की	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1574 के जरिये किया गया जिसमें रास्ते की भूमि से खसरा नम्बर 7/93 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा दर्ज किया गया। ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 7 में रास्ते के बट्टा नम्बर की मौका जांच करने पर रास्ते की भूमि का रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा 03 बिस्वांशी पाया गया। ग्राम तनावडा की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 7 का रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा 03 बिस्वांशी है जबकि गत जमाबन्दी चौसाला अनुसार सहखातेदारान् के आगे दर्ज रकबे अनुसार योग करने पर खसरा संख्या 7 का रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांशी पाया गया जबकि खसरे का रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा 03 बिस्वांशी दर्ज है। उक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटिवश तत्समय रोड समर्पण रकबे को मौका रोड रकबे से अधिक दर्ज कर दिये जाने से मूल खसरा 7 का रकबा खातेदारो के योग रकबे से कम रह गया अतः गत जमाबन्दी अनुसार खातेदारान् के रकबे को शुद्ध दर्ज करने हेतु मूल खसरा संख्या 7 के रकबे को 17 बीघा 04 बिस्वा 03 बिस्वांशी के स्थान पर 20 बीघा 07 बिस्वा एवं रास्ते के खसरा सं 7/93 के रकबे को 17 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर 14 बीघा 03 बिस्वा 03 बिस्वांशी दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में मौजूद राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा नंबर 7 के मुल खातेदारों द्वारा रकबे से अधिक बेचान करने से जमाबंदी में दर्ज किया गया जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार लिपिकीय त्रुटिवश तत्समय रोड समर्पण रकबे को मौका रोड रकबे से अधिक दर्ज कर दिये जाने से मूल खसरा 7 का रकबा खातेदारो के योग रकबे से कम रहना अवगत करवाया है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते का नामान्तरकण संख्या 1574 में भूमि 17 बीघा 06 बिस्वा है जिससे यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार लिपिकीय त्रुटीवश दर्ज न होकर मूल भूमि मे अधिक बेचान किये जाने से दर्ज होना प्रतीत होता है। उक्त दोनों रिपोर्ट में विरोधाभास होने के फलस्वरूप उक्त भूमि का रेकर्ड शुद्धिकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त खसरान के रकबे में दर्ज हिस्सा बेचान के दौरान इन्द्राज हुआ है जो कि धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रेकर्ड शुद्धिकरण के मद्देनजर रेकर्ड दुरूस्ती की परिभाषा में नहीं आने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी